रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 292] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 1973/अग्रहायण 22, 1895

No. 292] **NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 13, 1973/AGRAHAYANA 22, 1895**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December 1973

G.S.R. 519(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Sales Tax (Registration and Turnover) (Second Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules 1957 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 12,—

(i) in sub-rule (5), the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that a single declaration may cover transfer of goods, by a dealer, to any other place of his business or to his agent or principal, as the case may be, effected during a period of one calendar month:

Provided further that if the space provided in form 'F' is not sufficient for making the entries, the particulars specified in form 'F' may be given

in separate annexures attached to that form so long as it is indicated in the form that the annexures form part thereof and every such annexure is also signed by the person signing the declaration in form 'F':

Provided further that form 'F' in form before the commencement of the Central Sales Tax (Registration anl Turnover) (Second Amendment) Rules, 1973 may continue to be used up to 31st day of December, 1974 with suitable modifications.";

(ii) in clause (a) of sub-rule 8, after the proviso, the following further proviso shall be inserted, namely:—

Provided further that in the case of a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the declaration in form 'C' or in form 'F' can also be signed by any other officer of the company authorised under the Memorandum or Articles of Association of the company or under any other special or general resolution of the company or under a resolution passed by the Board of Directors of the company, to authenticate any document on behalf of such company.".

3. In form 'F' appended to the said rules, after the words "Number and date of invoice" occurring in all the three parts of such form marked as "counterfoil", "duplicate" and "original", the words "or challan or any other document under which goods were sent" shall be inserted.

[No. F.28/39/73-ST]

K. NARASIMHAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बिमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1973

सा० का० नि० 519(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1973 है ।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 12 में,—

(i) उपनियम (5) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:

"परन्तु एक कैलैण्डर मास की अवधि के दौरान, व्यवहारी द्वारा, यथास्थिति, अपने कारबार के किसी अन्य स्थान को या अपने अभिकर्ता या मालिक को किया गया माल का अन्तरण एकल घोषणा में आ सकेगा.

परन्तु और कि यदि प्ररूप 'च' में उपबंधित खाली स्थान प्रविष्टियों के लिए पर्याप्त न हो, तो प्ररूप 'च' में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां जब तक उस प्ररूप से संलग्न पृथक उपाबंधों

में दी जा सकेंगी, जब तक प्ररूप में यह उपदर्शित किया जाता है कि उपाबंध उसके अंग हैं और प्ररूप 'च' में घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे प्रत्येक उपाबंध पर भी हस्ताक्षर किया जाता है:

परन्तु और कि केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1973 के प्रारम्भ होने से पूर्वप्रवृत्त 'च' उपर्युक्त परिवर्तनों सहित 31 दिसम्बर, 1974 तक प्रयुक्त किया जा सकेगा;

(ii) उप-नियम 8 के खंड (क) में, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित और परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

परन्तु यह और कि कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित किसी कंपनी की दशा में, प्ररूप 'ग' में या प्ररूप 'च' में घोषणा, कंपनी के ज्ञापन या संगम-अनुच्छेद के अधीन अथवा कंपनी के किसी अन्य विशेष या साधारण संकल्प के अधीन अथवा कंपनी के निदेशकों के बोर्ड द्वारा पारित संकल्प के अधीन, ऐसी कंपनी की ओर से किसी दस्तावेज को अधिप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत कंपनी के किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षरित की जा सकेगी।"

3. उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 'च' में, 'प्रतिपर्ण', "दूसरी प्रति" और "मूल प्रति" के रूप में चिन्हित ऐसे प्ररूप के सभी तीनों भागों में आए हुए "बीजक की संख्या और तारीख" शब्दों के पश्चात् "या चालान या कोई अन्य दस्तावेज जिसके अधीन माल भेजा गया था" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे।

[सं० फा० 28/39/73-एस टी]

के० नरसिंहन, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973